

# जीनोम डेटाबेस विधेयक का औचित्य क्या है?

प्रमोद भार्गव

केंद्र सरकार देश के प्रत्येक नागरिक की कुण्डली तैयार करने की दृष्टि से 'मानव डीएनए संरचना विधेयक, 2015' लाने की कवायद में लगी है। कालांतर में यदि यह विधेयक पारित हो जाता है तो देश के हरेक नागरिक का जीन आधारित कंप्यूटरीकृत डेटाबेस तैयार होगा। तब एक क्लिक पर मनुष्य की आंतरिक जैविक जानकारीयों पर होंगी। लिहाज़ा इस विधेयक को



भारतीय संविधान के अनुच्छेद 21 में आम नागरिक के मूल अधिकारों में दर्ज गोपनीयता के अधिकार का स्पष्ट उल्लंघन माना जा रहा है। इसे लाने के प्रमुख कारण अपराध पर नियंत्रण और बीमारी का रामबाण इलाज बताए जा रहे हैं।

सवा अरब की आबादी और विविधता पूर्ण देश में कोई निर्विवाद व आशंकाओं से परे डेटाबेस तैयार हो जाए यह अपने आप में एक बड़ी चुनौती है। लिहाज़ा देश के सभी लोगों की जीन कुण्डली बना लेना भी एक दुष्कर व असंभव कार्य लगता है। हां, तकनीक आधारित इस डेटाबेस को तैयार करने के बहाने प्रौद्योगिकी उत्पादों से जुड़ी कंपनियों के ज़रूर वारे-न्यारे हो जाएंगे।

विधेयक के सामने आए प्रारूप के पक्ष-विपक्ष सम्बंधी पहलुओं को जानने से पहले थोड़ा जीन कुण्डली की रूपरेखा जान लें। मानव शरीर में डी-ऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए नामक सर्पिल संरचना वाला अणु कोशिकाओं में गुणसूत्रों का निर्माण करता है। मनुष्य में इन गुणसूत्रों की संख्या 46 है। इनमें 22 गुणसूत्र एक जैसे होते हैं, किंतु एक भिन्न होता है। गुणसूत्र की यही विषमता लिंग का निर्धारण करती है।

डीएनए नामक यह जो महारसायन है, इसी के माध्यम

से बच्चे में माता-पिता के आनुवंशिक गुण स्थानांतरित होते हैं। वंशानुक्रम की यही बुनियादी भौतिक, रासायनिक, जैविक तथा क्रियात्मक इकाई है। गुणसूत्र पर डीएनए जीन्स के रूप में व्यवस्थित रहता है। 25000 जीन मिलकर एक मानव जीनोम बनाते हैं, जिसके अध्ययन से इस विषय के विशेषज्ञ व्यक्ति के आनुवंशिकी रहस्यों को किसी पहचान-पत्र की तरह पढ़ सकते हैं।

यदि मानव जीनोम का खाका रिकॉर्ड करने का कानून वजूद में आ जाता है तो व्यक्ति की नितांत निजता के अधिकार के कोई मायने नहीं रह जाएंगे।

मानव जीनोम तीन अरब रासायनिक क्षारों का तंतु है, जो यह परिभाषित करता है कि वास्तव में मनुष्य है क्या। इसे पढ़ने के लिए 1980 में 'मानव जीनोम परियोजना' शुरू की गई थी। इस पर 13,800 करोड़ रुपए खर्च हुए थे। इसमें अंतर्राष्ट्रीय जीव व रसायन विज्ञानियों की बड़ी संख्या में भागीदारी थी। इन विज्ञानियों ने इस योजना को 2001 में अंजाम तक पहुंचाया। अब आधुनिक जीव वैज्ञानिक यह दावा करने लगे हैं कि जीव विज्ञान में रासायनिक विश्लेषण से सभी जैविक समस्याओं का तकनीकी समाधान संभव है।

मानव डीएनए प्रोफाइलिंग बिल 2015 लाने के पक्ष में तर्क दिया जा रहा है कि डीएनए विश्लेषण से अपराधों पर अंकुश लगेगा। खोए, चुराए और अवैध सम्बंधों से पैदा संतान के माता-पिता का पता चल जाएगा। इस बाबत देशव्यापी चर्चा में रहे नारायण दत्त तिवारी और उनके जैविक पुत्र रोहित शेखर तथा उत्तर प्रदेश सरकार के सज़ायफता पूर्व मंत्री अमरमणि त्रिपाठी व कवयित्री मधुमिता

शुक्ला के उदाहरण दिए जा सकते हैं। इन सभी मामलों में डीएनए परीक्षण की मदद ली गई थी। अर्थात् कानून बनने से पहले ही अदालतें डीएनए जांच रिपोर्ट के आधार पर फैसले दे रही हैं। लावारिस व पहचान छिपाने के मकसद से विकृत की गई लाशों की पहचान भी इस जांच से संभव है। लेकिन इस संदर्भ में देश की पूरी आबादी का जीनोम डेटाबेस बनाने का औचित्य समझ से परे है।

जीनोम डेटाबेस में नस्ल और जाति के आधार पर भी आंकड़े एकत्रित करने का प्रावधान है। इस दृष्टि से दावा तो यह किया जा रहा है कि मानव समूहों के बीच नस्तीय भेदभाव के वंशाणु नहीं मिलते हैं। सभी मनुष्यों में 99.99 प्रतिशत डीएनए एक जैसा पाया गया है। इसीलिए जीव विज्ञानी दावा कर रहे हैं कि आनुवंशिक समानताओं की व्याख्या करके यह कहा जा सकता है कि सबके पुरखे एक थे, जो पूर्वी अफ्रीका में डेढ़ लाख साल पहले हुए थे। इसके उलट सेंटर फॉर सेल्युलर एंड मॉलिक्युलर बायोलॉजी के पूर्व निदेशक लालजी सिंह पहले ही कह चुके हैं कि वैश्विक आनुवंशिक मानचित्र पर डीएनए की श्रृंखला भारत की आबादी से मेल नहीं खाती। अतः इसके बारे में माना जा सकता है कि ये 65 हजार साल पहले अस्तित्व में आई और ग्रेटर अंडमानी जनजातियों के कहीं ज़्यादा निकट हैं तथा यही सबसे प्राचीन ज्ञात मानव हैं। वैसे आशंका यह भी है कि नस्ल और जाति आधारित डीएनए जांच का विश्लेषण भारत में जातिवाद को और पुख्ता ही करेगा। साथ ही, यह आशंका भी है कि जिस तरह ब्रिटिश शासनकाल में कुछ जातियों को आपराधिक जाति का दर्जा दे दिया गया था, उनका वंशानुक्रम खोज कर यह साबित करने की कोशिश होगी कि इनमें तो अपराध के लक्षण वंशानुगत हैं। जबकि जाति और अपराध का परस्पर कोई सम्बंध नहीं है। यह स्थिति बनती है तो सामुदायिक हितों के प्रतिकूल होगी।

जीन सम्बंधी परिणामों को सबसे उपयोगी चिकित्सा के क्षेत्र में माना जा रहा है। जीन के सूक्ष्म परीक्षण से बीमारी की सार्थक दवा देने की उम्मीद बढ़ गई है। लिहाज़ा इससे चिकित्सा और जीव विज्ञान के अनेक राज तो खुलेंगे ही, दवा उद्योग भी फले-फूलेगा। इसीलिए मानव जीनोम से

मिल रही सूचनाओं का दोहन करने के लिए दुनिया भर की दवा कंपनियां अरबों का निवेश कर रही हैं और सरकारों पर जीन डेटाबेस बनाने का दबाव भी बना रही हैं।

हालांकि जीन का अध्ययन करके मलेरिया, कैंसर, रक्तचाप, मधुमेह वगैरह बीमारियों का ज़्यादा कारगर दंग से इलाज किया जा सकेगा लेकिन इस हेतु केवल बीमार व्यक्ति अपना डेटाबेस तैयार कराए, हरेक व्यक्ति का जीन डेटा इकट्ठा करने का क्या औचित्य है?

यदि व्यक्ति की जीन-कुंडली से यह पता चल जाएगा कि उसे भविष्य में फलां बीमारी हो सकती है, तो उसके विवाह में मुश्किल आएगी। बीमा कंपनियां बीमा नहीं करेंगी और उसका समाज से बहिष्कार भी संभव है। गंभीर बीमारी की शंका वाले व्यक्ति को, खासकर निजी कंपनियां, नौकरी देने से भी इन्कार कर सकती हैं। ज़ाहिर है, निजता का यह उल्लंघन मानवाधिकारों के हनन का प्रमुख सबब बन जाएगा।

मानव डीएनए संरचना विधेयक अस्तित्व में आ जाता है तो इसके क्रियान्वयन के लिए बड़ा ढांचागत निवेश भी करना होगा। डीएनए नमूने लेने, फिर परीक्षण करने और फिर डेटा संधारण के लिए देश भर में प्रयोगशालाएं बनानी होंगी। प्रयोगशालाओं से तैयार डेटा को राष्ट्रीय व राज्य स्तर पर सुरक्षित रखने के लिए डीएनए डेटा बैंक बनाने होंगे। जीनोम-कुण्डली बांचने के लिए सुपर कंप्यूटरों की ज़रूरत होगी। इसके बावजूद महारसायन डीएनए में चलायमान जीन्स की तुलनात्मक गणना मुश्किल है। इस ढांचागत व्यवस्था पर नियंत्रण के लिए विधेयक के मसौदे में एक राष्ट्रीय डीएनए प्राधिकरण के गठन का भी प्रावधान है।

हमारे यहां राजस्व अभिलेख, विसरा और रक्त सम्बंधी जांच रिपोर्ट तथा आंकड़ों का रख-रखाव कतई विश्वसनीय व सुरक्षित नहीं है। भ्रष्टाचार के चलते जांच प्रतिवेदन व डेटा बदल दिए जाते हैं। ऐसी अवस्था में आनुवंशिक तथ्यों की गलत जानकारी व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा सामाजिक समरसता से खिलवाड़ कर सकती है। फिर भी निजी जेनेटिक परीक्षण को कानून के ज़रिए अनिवार्य बना देने में कंपनियां इसलिए लगी हैं, ताकि उपकरण और आनुवंशिक सूचनाएं बेचकर मोटा मुनाफा कमाया जा सके। (स्रोत फीचर्स)